



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA/23

21.06.2023

To,

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: 1. Grant of enhanced rate of Dearness Relief @ 42% w.e.f. 01.01.2023 to Pensioners/Family Pensioners of Government of Jharkhand.
2. Grant of enhanced rate of Dearness Relief @ 221% w.e.f. 01.01.2023 to Pensioners/Family Pensioners of Government of Jharkhand drawing pension in the Pre-revised Pay Scale (Sixth Pay).

Ref: 1. G.R. No. 12/S-Dearness Allowance/Dearness Relief-54/2017/1281 dated 03.05.2023 & G.R. No. 12/S-Dearness Allowance/Dearness Relief-54/2017/1283 dated 03.05.2023 of Government of Jharkhand, Finance Department.
2. SSA No. PEN-III/Jharkhand/DR/2023-24/1913 dated 31.05.2023 received from the office of the Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi.

I am to enclose herewith the copy of Special Seal Authority received from the office of the Accountant General, Jharkhand, regarding the subject captioned above. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

[Signature]
23/6/23

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)
Jharkhand, Ranchi

-For Information.

[Signature]

Sr. Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/23

16/6/2023

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No. PEN-III/Jharkhand/DR/2023-24/1913

Dated:- 31/05/23



P-19
62187
15-06-2023

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- 19/2023-24.

To,

The

24/08/2023

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, ziro Point, Blanda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Audit Bhawan Vibhuti Khand Gomtinagar Lucknow Uttar Pradesh.	226010.
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building,	248171

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkhand)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745, 2410816

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

	Saharanpur Road Majra, Dehradun	
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33.	Accountant General (A&E), Telangana, Haydrabad	500004

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2023 (Enhanced from 38 % to 42 %) & Enhancement rate of Dearness Relief of Pre-revised Pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2023 (Enhanced from 212% to 221%).

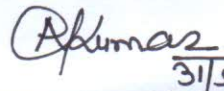
Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.12/एस-महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत--54/2017..1281 & वि० प्र० 6 ए 12/2013...1283/ वि. दिनांक-03/05/2023 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl:-As stated above.


31/5/23
Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi.

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक : 03/05/2023

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका- 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महंगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/04/2023-P & PW (D) दिनांक 06.04.2023 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की वर्तमान दर को 38% (अड़तीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 42% (बयालीस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमान्य महंगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% (बयालीस प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया जाय”।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1135/वि० दिनांक 17.04.2023 के क्रम में दिनांक 27.04.2023 की बैठक के मद सं० 08 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

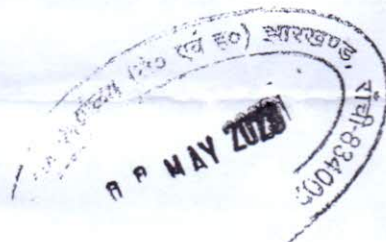
ज्ञापांक : 12/एस-महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत-54/2017 12/11/20 रॉची, दिनांक 03/05/20

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय
महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव
के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी
आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/ पेंशन शाखा, वित्त विभाग/ जन सूचना
कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/ सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग
को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च
न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रसंग में महंगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य
न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश
निर्गत किया जाय/ सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र
असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय
Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।



Pen. 1
C. 443

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

राँची/दिनांक 03/05/2023

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 10.04.2023 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) से बढ़ाकर 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

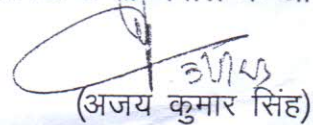
4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) से बढ़ाकर 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।”

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1214/वि० दिनांक 25.04.2023 के क्रम में दिनांक 27.04.2023 की बैठक के मद सं० 14 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

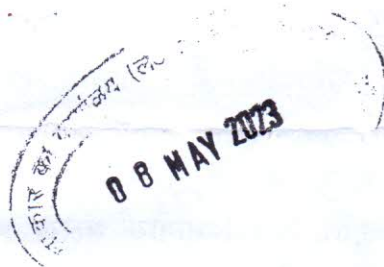
ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013 1283/वि०

राँची, दिनांक 03/05/2023

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची/ सभी राज्यों के महालेखाकार कार्यालय/ मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/ जैन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची/ सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/ सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।



Pen-1
441